II–157

C–J

Witness No–––01–––for–––––––– **अभियोजन** –––– Deposition taken the **28–04–2023** day of ––––––– witness's apparent age **25 वर्ष** States on affirmation **––शपथपूर्वक–** – my name is **मनीष कुमार ढीढी** s/of भूखन ढीढी occupation **फैंसी स्टोर्स का दुकान** Address:– **ग्राम बोदा, थाना–गिधपुरी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)**

(Time:-11:55 am)

(अ०सा०–1 मनीष कुमार ढीढी)

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राजनारायण त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

1– मैं आरोपीगण को जानता व पहचानता हूँ , आरोपीगण मेरे ही गाँव के पास स्थित ग्राम मोहान के रहने वाले हैं।

2– घटना पिछले वर्ष दशहरा के समय की है , उस समय मैं, युवराज और मेरे अन्य दोस्त दशहरा देखने के लिए ग्राम मोहान गए थे , जहाँ दशहरा देखने के बाद शाम करीब 06:00–06:30 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ आरोपी हरिशंकर के दुकान में भजिया लेने गया था , जहाँ मैं भजिया खरीदा था तो मैं देखा कि भजिया में पाउडर लगा था। मैं पाउडर लगे भजिया को देने से आरोपी को मना किया तो आरोपी हरिशंकर मुझसे कहने लगा कि भजिया खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो मत खाओ कहकर मुझे माँ–बहन की गंदी–गंदी गाली देते हुए नीच जाति का हो कहकर गाली देते हुए मेरे साथ मारपीट करने लगा , उस समय आरोपी हरिशंकर शराब पीया हुआ था। आरोपी हरिशंकर के द्वारा मेरे साथ मारपीट करने से मेरे नाक से खून बहने लगा था और गले में नाखून का खरोच आ गया था। घटना के समय उसके गाँव वाले बहुत से लोग वहाँ आ गए थे और उसके गाँव के लोग भी हम लोगों के साथ गाली – गलौच और मारपीट किए थे, उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस अपने घर आ गए थे।

3– घर वापस आने के बाद मैंने आरोपीगण के विरूद्ध थाना गिधपुरी जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी. 01** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

4– पुलिस वाले मुझे डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलारी लेकर गए थे, जहाँ मेरा डॉक्टरी जाँच हुआ था। पुलिस वाले जाँच के लिये घटना स्थल पर आये थे और मेरे बताये अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किए थे जो **प्रदर्श पी. 2** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

5– पुलिस ने मुझे दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दिया था जो **प्रदर्श पी. 03** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुझसे किसी भी वस्तु की जप्ती नहीं की थी। साक्षी को जप्ती पत्रक दिखाये जाने पर साक्षी का कहना है कि जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 4** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुझे एक प्रति सुपुर्दनामे में दिया था और एक प्रति पुलिस ने स्वयं रखा था। सुपुर्दनामा **प्रदर्श पी. 5** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

6– पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

नोट– इसी स्तर पर विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित करते हुए उससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत् प्रतिपरीक्षण के सदृश प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, अभिलेख के अवलोकन उपरांत अनुमति दी गई ।

7– यह कहना सही है कि घटना के समय मेरा दोस्त युवराज ढीढी बीच–बचाव करने के लिए आया था, उस समय आरोपी चन्द्रशेखर निषाद ने उसे एक लोहे के पतला रॉड से मारपीट किया था, जिससे उसके दाहिने कान के पास चोट आया था और खून निकल रहा था और उसके गले में भी चोट लगा था।

8– मैं सतनामी जाति का हूँ जो एस .सी. वर्ग में आता है। आरोपीगण निषाद जाति के हैं , आरोपीगण किस वर्ग में आते हैं , मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर साक्षी कहता है कि आरोपीगण ओबीसी में आते हैं।

9– यह कहना सही है कि आरोपीगण पहले से जानते थे कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ और यह जानते हुए आरोपीगण मुझको गंदी–गंदी गालियाँ देकर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किए थे। यह कहना सही है कि पुलिस ने मुझसे मेरा मूल जाति प्रमाण पत्र जप्त किया था। मैं आज अपना मूल जाति प्रमाण पत्र साथ लेकर आया हूँ। मेरा मूल जाति प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी. 06** है, जिसकी प्रकरण में संलग्न छायाप्रति **प्रदर्श पी. 06 सी** है। पुलिस ने मेरा मूल जाति प्रमाण पत्र को मुझे सुपुर्दनामा में वापस दिया था।

//प्रति परीक्षण द्वारा श्री बी.सी.कैवर्त्य अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण //

10– मैं कक्षा बारहवीं तक पढ़ा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को बयान देते समय अपना जाति नहीं बताया था। यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी . 1 में मेरे नाम के साथ मेरा जाति उल्लेखित नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि मेरे नाम के साथ सरनेम उल्लेखित है, स्वतः कथन समाप्त। यह कहना गलत है कि सरनेम से व्यक्ति की जाति का पता नहीं चलता है।

11– यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. 01 प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी हरिशंकर शराब पीया हुआ था इस बात का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नीच जाति का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि प्रथम सूचना पत्र में आरोपी हरिशंकर के द्वारा मुझे नीच जाति के हो कहने वाली उल्लेखित नहीं है।

12– यह कहना सही है कि मैं थाने में घटना रात्रि को ही पुलिस को बयान दिया था। यह कहना गलत है कि घटना रात्रि को पुलिस को बयान देने के अतिरिक्त मैंने बाद में पुलिस को

और कोई बयान नहीं दिया है।

13– मेरे पुलिस बयान में आरोपी हरिशंकर के द्वारा शराब पीये होने के संबंध में और मुझे नीच जाति कहने के संबंध में उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने आरोपी हरिशंकर के द्वारा घटना के समय शराब पीये हुए होने वाली बात और उसके द्वारा मुझे नीच जाति के हो कहने वाली बात पहली बार न्यायालय में बता रहा हूँ। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान में मेरे जाति का उल्लेख नहीं है।

14– यह कहना सही है कि ग्राम मोहान आरोपीगण का गाँव है और मेरा गाँव बोदा है जो 02 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कहना सही है कि हमारे गाँव बोदा में सतनामी जाति के लोग रहते हैं। यह कहना सही है कि हमारे गाँव में किसी के घर में कार्यक्रम होता है तो ग्राम मोहान के लोग भी आते हैं और कार्यक्रम में शामिल होकर उठते , बैठते तथा खाते पीते हैं। यह कहना सही है कि तथाकथित घटना दिनांक को ग्राम मोहान में दशहरा उत्सव मनाया जा रहा था। यह कहना सही है कि घटना के समय रात्रि लगभग 07:30–08:00 बज गया था। यह कहना सही है कि घटना के समय ग्राम मोहान के दशहरा मैदान में बहुत से लोग उपस्थित थे।

15– यह कहना सही है कि घटना स्थल के सामने रंगमंच बना हुआ है। यह कहना सही है कि घटना के समय रंगमंच में रामायण का पाठ माईक से चल रहा था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस समय आरोपी हरिशंकर के होटल में इतवारी और उमेश बैठकर नाश्ता कर रहे थे या नहीं। यह कहना सही है कि आरोपी के होटल में आरोपी आलूचाप बना रहा था। साक्षी ने स्वतः कहा कि आलूचाप के साथ आरोपी भजिया भी बना रहा था ,स्वतः कथन समाप्त। यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय शराब पीये हुए था। यह कहना सही है कि आरोपी के द्वारा घटना स्थल के पास दशहरा उत्सव होने के कारण एक दिन के लिए होटल लगाया गया था। यह कहना सही है कि आरोपी का होटल के आसपास अन्य लोगों का दुकान लगा हुआ था।

16– यह कहना गलत है कि घटना के समय आरोपी चन्द्रशेखर , आरोपी हरिशंकर के होटल में नहीं था। यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय आरोपी हरिशंकर के होटल में जाकर 20 रूपये का आलूचाप मांगा था। यह कहना गलत है कि आरोपी के द्वारा मुझे 20 रूपये का 16 पीस आलू चाप दिया गया था। यह कहना गलत है कि आरोपी हरिशंकर के द्वारा मुझे 04 पीस और बढ़ाकर कुल 20 पीस आलूचाप देने पर मैं उसे उठाकर फेंक दिया था और यह कहा था कि यह ठीक से पका नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय आरोपी हरिशंकर के साथ झगड़ने लगा था और उसका कालर पकड़ लिया था और उसके साथ मारपीट किया था। यह कहना गलत है कि जब मैं आरोपी हरिशंकर के साथ मारपीट कर रहा था, उस समय रंगमंच में रामलीला कार्यक्रम करने वाले लोग आकर मेरे साथ मारपीट किए थे। साक्षी ने स्वतः कहा कि आरोपी के गाँव के लोग बाद में आये थे और वे लोग भी मेरे साथ मारपीट किए थे, स्वतः कथन समाप्त।

17– यह कहना गलत है कि घटना के पहले से आरोपीगण मुझे नहीं जानते थे। यह कहना गलत है कि घटना स्थल के पास लाईट की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह कहना गलत है कि आरोपीगण ने मेरे साथ गाली–गलौच और जान से मारने की धमकी नहीं दिया था और मेरे साथ मारपीट नहीं किया था।

18– यह कहना सही है कि घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखाते समय मैं अपना जाति प्रमाण पत्र पुलिस को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस वालों के द्वारा मेरा जाति प्रमाण पत्र मांगने पर मैंने अपना जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से बनवाकर दिया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि मेरा जाति प्रमाण स्कूल शिक्षा के समय से बना हुआ है , स्वतः कथन समाप्त। मुझे यह याद नहीं है कि पुलिस ने मुझे मेरा जाति प्रमाण पत्र पेश करने हेतु नोटिस किस दिनांक को दिया था और मैं पुलिस के समक्ष अपना जाति प्रमाण पत्र किस दिनांक को पेश किया था।

19– यह कहना गलत है कि मैं आज आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया था और पुलिस ने मेरा जाति प्रमाण पत्र जप्त नहीं किया था। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी. 02 नहीं बनाया था और अपने मन से बनाकर मुझसे सिर्फ हस्ताक्षर कराया था।

नोट – साक्षी को उसका मूल जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 06 को वापस किया गया।

(Time–01:00 pm)

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

sd/-
(विजय कुमार एक्का)
विशेष न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.जन.जा.(अत्या.निवा.)
अधि. बलौदाबाजार(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया

sd/-
(विजय कुमार एक्का)
विशेष न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.जन.जा.(अत्या.निवा.)
अधि. बलौदाबाजार(छ.ग.)